



2024: CGHC: 30705-DB  
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर  
रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4014 / 2022  
आदेश सुरक्षित करने का दिनांक: 24/07/2024  
आदेश पारित करने का दिनांक: 14/08/2024

1. जी.डी.आर. एजुकेशनल फाउंडेशन, रूंगटा भवन, जी.ई. रोड, गंजपारा, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, द्वारा डॉ. सौरभ रूंगटा, निदेशक, आत्मज श्री संतोष रूंगटा, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी रूंगटा भवन, जी.ई. रोड, गंजपारा, दुर्ग, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़।
2. घनश्याम दास रूंगटा फाउंडेशन (जी.डी. रूंगटा फाउंडेशन), रूंगटा भवन, जी.ई. रोड, गंजपारा, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, द्वारा डॉ. सौरभ रूंगटा, सचिव, आत्मज श्री संतोष रूंगटा, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी रूंगटा भवन, जी.ई. रोड, गंजपारा, दुर्ग, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़।

-----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. विशेष अधिकारी, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय (अधिग्रहण) अधिनियम, 2021 के तहत गठित, द्वारा सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. चंदूलाल चंद्राकर स्मृति अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड, नेहरू नगर चौक, भिलाई, छत्तीसगढ़, द्वारा डॉ. अरुण मढ़रिया, निदेशक, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी गायत्री अस्पताल, रोहिणीपुरम, रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

-----उत्तरदातागण

याचिकाकर्तागण की ओर से: श्री अनुराग दयाल श्रीवास्तव एवं श्री सिद्धार्थ शुक्ला, अधिवक्ता  
उत्तरदाता क्रमांक 1 एवं 2/राज्य की ओर से: श्री राहुल तामस्कर, शासकीय अधिवक्ता  
उत्तरदाता क्रमांक 3 की ओर से: श्री वाई.सी. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, साथ में श्री अजय चंद्रा, श्री सचिन निधि, श्री असीम बी. गोपाल, श्री पारस साहू एवं श्री मोहम्मद जाकिर, अधिवक्तागण

माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी एवं  
माननीय न्यायमूर्ति श्री राधाकिशन अग्रवाल  
सी.ए.वी. निर्णय

गौतम भादुड़ी, न्यायमूर्ति के अनुसार:



1. प्रस्तुत याचिका में छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग (अधिग्रहण) अधिनियम, 2021 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम, 2021' कहा गया है) की धाराओं 4, 5, 6, 8(1), 8(3) और 9 को चुनौती दी गई है; याचिकाकर्तागण ने आगे राज्य प्राधिकारियों को एक ऐसी व्यवस्था या योजना शामिल करने हेतु निर्देश देने की मांग की है जिससे याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा हो सके, जो चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग (जिसे इसके बाद 'महाविद्यालय' कहा गया है) का एक लेनदार है; और याचिकाकर्तागण ने यह सहायता भी चाही है कि अधिनियम, 2021 की धाराओं 4, 5 और 9 के प्रावधानों को असंवैधानिक, प्रारंभतः शून्य और संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (जिसे इसके बाद 'टीपी एक्ट' कहा गया है) की धारा 100 के प्रावधानों के अधिकारतीत घोषित किया जाए।
2. (i) याचिकाकर्ता का पृष्ठभूमि मामला यह है कि याचिकाकर्ता एक धर्मार्थ शैक्षणिक संस्थान है और यह संस्था विभिन्न संस्थान संचालित करती है। उत्तरदाता क्रमांक-3 कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है और एक चिकित्सा, दंत चिकित्सा और फार्मसी कॉलेज तथा 750 बिस्तरो वाला एक अस्पताल भी संचालित कर रही है। वे 'चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल, मोतीलाल नेहरू नगर, भिलाई' के नाम से मेडिकल कॉलेज चला रहे थे। उत्तरदाता क्रमांक-3 द्वारा दिनांक 30-12-2017 को एक आशय पत्र (अनुलग्नक-पी/2) प्रेषित किया गया था, जिसके द्वारा निदेशक मंडल द्वारा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की संपूर्ण संपत्ति याचिकाकर्तागण के पक्ष में जारी की गई थी। संपत्ति का कुल प्रतिफल 165 करोड़ रुपये तय किया गया था और टोकन पावती के रूप में प्रारंभ में याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरदाता क्रमांक-3 को 2.5 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया था, जिन्हें क्रमशः पक्षकार क्रमांक-2 और 1 के रूप में दर्शाया गया है।  
(ii) तत्पश्चात, याचिकाकर्ता और उत्तरदाता क्रमांक-3 के बीच परिसंपत्ति क्रय समझौता (अनुलग्नक-पी/3) निष्पादित किया गया, जिसमें निम्नलिखित परिसंपत्तियों (जैसा कि याचिका के कंडिका 8.3 में वर्णित है) को याचिकाकर्ता क्रमांक-1 द्वारा क्रय किए जाने पर सहमति बनी थी:  
क) "चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज" के नाम और शैली के तहत मेडिकल कॉलेज, जो कुरुद रोड, दुर्ग जिला, कचंदुर, छत्तीसगढ़ - 490024 में स्थित है;  
ख) कुरुद रोड, दुर्ग जिला, कचंदुर, छत्तीसगढ़ - 490024 में उसी परिसर के अंतर्गत मेडिकल अस्पताल; तथा



ग) दुर्ग जिला, कचंदुर में 25 एकड़ भूमि – वह संपत्ति, जिसका परिसंपत्ति क्रय समझौते में विशेष रूप से विवरण दिया गया है, साथ ही उपरोक्त संपत्तियों के संबंध में सभी चल और अचल संपत्ति, बौद्धिक संपदा, अधिकार, स्वत्व, पात्रता, उपकरण, सरकारी प्राधिकरण आदि।

(iii) इसके बाद, अनुच्छेद-3 के अनुसार आंशिक रूप से 4,04,43,000/- रुपये की अग्रिम राशि का भुगतान किया गया। यह आगे सहमति बनी थी कि यदि किन्हीं भी कारणों से क्रेता विफल रहता है और रजिस्ट्री की प्रक्रिया में देरी करना चाहता है, तो वह विक्रेता को 25-2-2018 को या उससे पहले 133.50 करोड़ रुपये के शेष भुगतान करने के बाद ऐसा करेगा, जिसकी प्राप्ति के बाद विक्रेता क्रेता को रजिस्ट्री के लिए मुख्तारनामा देगा। आगे यह सहमति हुई कि यदि क्रेता 25-2-2018 तक शेष राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो विक्रेता इस परिसंपत्ति क्रय समझौते को जारी रखने/न रखने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) पक्षकारों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुआ, इसलिए याचिकाकर्ता को 30-6-2018 (अनुलग्नक-पी/4) को संविदा समाप्ति की सूचना दी गई और उसके बाद पक्षकारों के बीच कुछ बातचीत चल रही थी। इसी बीच, अधिनियम, 2021 लागू हो गया। अतः यह याचिका प्रस्तुत है।

3. (A) याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता यह तर्क देंगे कि अधिनियम, 2021 की धाराएं 4, 5, 6, 8(1), 8(3) और 9 राज्य की विधायी सक्षमता से परे थीं, अतः उन्हें असंवैधानिक घोषित किया जाना आवश्यक है। वह आगे यह तर्क देंगे कि धारा 4 एक 'अभिभावी खंड' से प्रारंभ होती है, जिसमें यह प्रावधान शामिल है कि किसी भी न्यायालय का कोई भी आदेश या निर्णय या डिक्री, अथवा किसी भी अनुबंध के होते हुए भी, महाविद्यालय की संपत्तियां उसके संबद्ध अस्पताल सहित सरकार में निहित होंगी और विधिक व्यक्ति या अन्य संगठन सहित किसी भी व्यक्ति का कोई भी अधिकार, कब्जा और हित समाप्त हो जाएगा। उनका तर्क है कि धारा 4 दो भागों में है—पहला यह कि किसी भी डिक्री या आदेश को इस अधिनियम द्वारा शून्य कर दिया गया है और अनुबंध सहित उसे निष्पादित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी; और दूसरा यह कि वह अनुबंध, जो टीपी एक्ट (संपत्ति अंतरण अधिनियम) के तहत संरक्षित है, जो कि एक केंद्रीय विधान है, उसके तहत प्रोद्भूत/अर्जित अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते, अतः उक्त भाग राज्य की विधायी सक्षमता से बाहर है।

(B) विद्वान अधिवक्ता यह तर्क देंगे कि न्यायालय के उक्त आदेश, निर्णय और डिक्री भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि 77 या सूची-11 की प्रविष्टि 65 के तहत संरक्षित हैं। उनका तर्क है कि ऐसे राज्य विधान द्वारा यह समस्त न्यायालयों के क्षेत्राधिकार और



शक्ति का अतिक्रमण करता है। उनका तर्क है कि राज्य द्वारा निर्मित विधायिका कानून बनाकर न्यायालय के आदेशों/निर्णयों को निष्प्रभावी नहीं कर सकती और न्यायिक घोषणाओं को शून्य नहीं किया जा सकता। विद्वान अधिवक्ता आगे यह तर्क देंगे कि राज्य सरकार द्वारा आक्षेपित अधिनियम के द्वारा जो किया गया है, वह स्पष्ट रूप से न्यायिक निर्णयों और आदेशों को शून्य करने के लिए न्यायिक क्षेत्र में हस्तक्षेप है, जो न्यायिक शक्तियों का उल्लंघन है। अपने तर्क की पुष्टि के लिए, विद्वान अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय द्वारा 'जनपद सभा छिंदवाड़ा बनाम द सेंट्रल प्रोविंसेस सिंडिकेट लिमिटेड एवं अन्य' के मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब ले रहे हैं।

(C) विद्वान अधिवक्ता यह तर्क देंगे कि यद्यपि आधार बदलकर सामान्य रूप से कानून में परिवर्तन करना विधायिका के लिए खुला है, किंतु पक्षकारों के बीच के किसी व्यक्तिगत निर्णय को रद्द करना अनुमत नहीं है। उनका तर्क है कि चूंकि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर विधायी और न्यायिक कार्यों के बीच एक सीमांकन है, अतः यह अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं है। वह यह भी तर्क देंगे कि किसी भी विधायिका के पास केवल अपने द्वारा बनाए गए कानून के तहत घोषणा करके न्यायालयों के आदेशों/निर्णयों/न्यायिक अधिनियमों को निरस्त करने की शक्ति नहीं है। उनका तर्क है कि धारा 4 और 5 के तहत प्रावधान करने का कोई विधिक प्रभाव नहीं है, अतः उन्हें अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए।

(D) विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अधिनियम, 2021 की धारा 9 का तात्पर्य है कि संपत्ति समस्त भागों से मुक्त होगी और सरकार, संपत्ति के निहित होने से पूर्व उसके स्वामियों की किसी भी देनदारी के लिए किसी भी जीवित या विधिक व्यक्ति को कुछ भी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, जो टीपी एक्ट की धारा 100 और 55(6)(ख) के प्रावधानों पर भी अभिभावी होगी। उनका तर्क है कि चूंकि टीपी एक्ट संपत्ति पर अधिकार प्रदान करता है और एक केंद्रीय कानून है, भले ही राज्य समवर्ती सूची (III) की प्रविष्टि 42 के तहत संपत्ति के अर्जन और अधिग्रहण के लिए कानून पारित कर सकता है, किंतु टीपी एक्ट की धारा 100 और 55(6)(ख) के प्रभाव को शून्य नहीं किया जा सकता है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय द्वारा 'कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण', 'चेविती वेंकन्ना बनाम तेलंगाना राज्य', 'फोरम ऑफ पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स बनाम पश्चिम बंगाल राज्य', 'दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पी) लिमिटेड एवं अन्य' के निर्णयों का अवलंब लिया है।

4. (a) राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, इसके विपरीत यह तर्क देंगे कि किसी भी कानून की संवैधानिकता को शून्य में चुनौती नहीं दी जा सकती और उसे चुनौती देने के लिए एक 'वाद हेतुक' होना अनिवार्य है। उनका तर्क है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने क्षेत्राधिकार रखने वाले



सक्षम दीवानी न्यायालय का दरवाजा तक नहीं खटखटाया है, अतः कानून को चुनौती देने के लिए कोई वाद हेतुक मौजूद नहीं है। वह आगे तर्क देंगे कि चूंकि याचिकाकर्ता ने बोर्ड का संकल्प प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए वर्तमान याचिका खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि याचिकाकर्ता संस्थान का कोई 'वादकरण अधिकार' नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय द्वारा 'चरणजीत लाल चौधरी बनाम भारत संघ एवं अन्य' के मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब ले रहे हैं।

(a) विद्वान अधिवक्ता टीपी एक्ट की धारा 54 का उल्लेख करते हुए यह तर्क देंगे कि मात्र अनुबंध करने से कोई प्रभार सृजित नहीं होता है। उनका तर्क है कि अधिनियम की धारा 9 में उपचार प्रदान किया गया है, जिसका याचिकाकर्ता द्वारा कभी उपयोग नहीं किया गया और वह केवल न्यायालय शुल्क बचाने के लिए एक विशुद्ध दीवानी मामले को रिट न्यायालय में खींच रहा है। उनके अनुसार, समय अनुबंध का सार था और चूंकि याचिकाकर्ता ने निर्धारित समय के भीतर कार्य नहीं किया है, इसलिए याचिकाकर्ता को विनिर्दिष्ट पालन का कोई उपचार अन्यथा प्रदान नहीं किया जा सकता है।

5. उत्तरदाता क्रमांक-3 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यह तर्क देंगे कि याचिकाकर्ता ने पहले ही वैकल्पिक उपचार का लाभ उठा लिया है और राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (जिसे इसके बाद 'NCLT' कहा गया है) के समक्ष वित्तीय लेनदार के रूप में अपना दावा प्रस्तुत किया है, लेकिन उक्त दावे को दिवाला समाधान पेशेवर (जिसे इसके बाद 'IRP' कहा गया है) द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिसमें यह माना गया था कि समय अनुबंध का सार है। इसके पश्चात, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 60(5) के तहत NCLT, कटक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। वह यह तर्क देंगे कि जब याचिकाकर्ता ने पहले ही NCLT के समक्ष उपचार प्राप्त कर लिया है, तो वह कानून को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का सहारा लेने हेतु वापस नहीं मुड़ सकता। अपने तर्क के समर्थन में, वह उच्चतम न्यायालय द्वारा 'के.एस. राशिद एंड संस बनाम इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन कमीशन', 'तंजीम खुर्शीद जरगर बनाम जे.एंड के. स्पेशल ट्रिब्यूनल व अन्य', 'के. जयराम व अन्य बनाम बेंगलोर विकास प्राधिकरण व अन्य' के मामलों में दिए गए निर्णयों और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 'सुनील टंडन बनाम संघ व अन्य' के मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब ले रहे हैं।

6. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और दस्तावेजों का अवलोकन किया है।



7. चूंकि राज्य के जवाब में इस तथ्य के बारे में पोषणीयता का विषय नहीं उठाया गया था कि याचिकाकर्ता ने किसी बोर्ड संकल्प के आधार पर रिट याचिका दायर नहीं की थी, अतः हम उक्त मुद्दे पर विचार-विमर्श करने से बचना चाहेंगे।

8. वर्तमान विवाद के उचित न्यायनिर्णयन के लिए, अधिनियम, 2021 की धाराओं 4 से 9 के प्रावधानों को उद्धृत करना आवश्यक होगा, जो इस प्रकार हैं:

4. तत्कालीन लागू किसी अन्य कानून में या किसी न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय या डिक्री में या किसी अनुबंध या अन्य दस्तावेज में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कचंदुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़, इसके संबद्ध अस्पताल और इसकी सभी संपत्तियों, अधिकारों और हितों सहित, सरकार में निहित होगा और इसके संबंध में किसी भी जीवित या विधिक व्यक्ति, व्यक्तियों, कंपनियों, शेयरधारकों या किसी अन्य संगठन का कोई भी अधिकार, कब्जा और हित समाप्त हो जाएगा।

5(1) तत्कालीन लागू किसी अन्य कानून में या किसी न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय या डिक्री में या धारा 4 के तहत सरकार में निहित प्रतिष्ठान से संबंधित किसी अनुबंध या अन्य दस्तावेज में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तुरंत पूर्व, उसे ऐसे प्रारंभ पर समाप्त मान लिया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, किसी भी कंपनी, संस्था, जीवित या विधिक व्यक्ति या किसी भी संगठन द्वारा किया जा रहा प्रशासन और प्रबंधन, जिन्होंने धारा 4 के तहत सरकार में निहित होने से पूर्व इन प्रतिष्ठानों का प्रबंधन और प्रशासन किया था, समाप्त माना जाएगा।

6. धारा 4 के तहत चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचंदुर, दुर्ग के प्रतिष्ठानों के सरकार में हस्तांतरण और निहित होने के उद्देश्य से, सरकार चंदूलाल चंद्राकर स्मृति अस्पताल, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 1), पंजीकरण संख्या 10-11769 वर्ष 1997 के तहत पंजीकृत है, को धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत देय राशि का भुगतान करेगी।

7 (1) सरकार अधिसूचना द्वारा, प्रशासन, चिकित्सा और वित्त के मामलों में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति को धारा 6 में निर्दिष्ट राशि निर्धारित करने के उद्देश्य से विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।



(2) इस अधिनियम के तहत विशेष अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में सहायता के लिए सरकार ऐसे अन्य अधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे।

(3) विशेष अधिकारी और उप-धारा (2) के तहत प्रतिनियुक्त अन्य अधिकारियों के वेतन और भत्ते सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

8 (1) धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त विशेष अधिकारी उस चल और अचल संपत्ति का मूल्यांकन करेगा जो धारा 4 के तहत सरकार में निहित हुई है।

(2) अधिग्रहण की अनिवार्य प्रकृति को देखते हुए, देय राशि उप-धारा (1) के तहत निर्धारित वास्तविक मूल्यांकन की राशि के दो गुने तक भुगतान की जाएगी।

(3) धारा 4 के तहत सरकार में किसी भी संपत्ति के निहित होने के लिए किसी भी जीवित या विधिक व्यक्ति को कोई अन्य राशि देय नहीं होगी।

9 (1) चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचंदुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ की संपत्तियां सभी भारों से मुक्त होकर सरकार में निहित होंगी और सरकार निहित होने से पूर्व उसके स्वामियों की किसी भी देनदारी के लिए किसी भी जीवित या विधिक व्यक्ति को कुछ भी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

(2) चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचंदुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ की देनदारियां सरकार में निहित होने से पूर्व उसके स्वामियों की देनदारियां बनी रहेंगी और उनके लेनदारों द्वारा कानून की सामान्य प्रक्रिया का पालन करते हुए उनसे वसूल की जा सकेंगी।

9. याचिकाकर्ता का मुख्य अभिकथन यह है कि अधिनियम, 2021 की धारा 4 के परिणामस्वरूप, सरकार में (संपत्ति के) निहित होने पर सरकार के विरुद्ध किसी भी अधिकार या हित की समाप्ति होती है। अधिनियम, 2021 को दिनांक 3-9-2021 को प्रख्यापित किया गया था। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति अस्पताल के अधिग्रहण के बाद, कर्मचारियों ने 'देवराज साहू एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य' के मामले में इस न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें दिनांक 31-7-2023 (मूल पाठ में 31-7-2003 अंकित है) के आदेश द्वारा 'उद्देश्यों और कारणों के कथन' को पुनरुत्पादित किया गया था। सुलभ संदर्भ के लिए इसे नीचे उद्धृत किया गया है:

### उद्देश्य और कारणों का कथन



यतः, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, ग्राम—कचांदुर, जिला—दुर्ग, छत्तीसगढ़ में, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत चंदूलाल चंद्राकर स्मृति अस्पताल पंजीयन क्र. 1997 का 10—11769 द्वारा वर्ष 2013 में स्थापित किया गया था और इस चिकित्सा महाविद्यालय ने एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये पहले ही राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद् की अनुमति प्राप्त कर ली है और बहुत से विद्यार्थी, पूर्व से ही चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं;

और यतः, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत चंदूलाल चंद्राकर स्मृति अस्पताल पंजीयन क्र. 1997 का 10—11769, जो चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, जिला—दुर्ग छत्तीसगढ़ के वर्तमान स्वामी है, द्वारा अपनी वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुये, राज्य शासन से चिकित्सा महाविद्यालय का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया गया है;

और यतः, राज्य शासन संतुष्ट है कि चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, जिला—दुर्ग, छत्तीसगढ़ का तत्काल अधिग्रहण किया जाना लोकहित में आवश्यक है ;

अतएव, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, जिला—दुर्ग, छत्तीसगढ़ का सभी अधिभारों से मुक्त होकर, तत्काल करने हेतु उपबंध करना, लोकहित में, आवश्यक हो गया है। अतः विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर,

दिनांक 24 जुलाई, 2021

टी.एस. सिंहदेव

चिकित्सा शिक्षा मंत्री,

(भारसाधक सदस्य)

10. धारा 4, जो चुनौती के आधारों में से एक है और जिसे ऊपर पुनरुत्पादित किया गया है, एक **अभिभावी खंड** से प्रारंभ होती है कि चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कचांदुर,



दुर्ग, छत्तीसगढ़, इसके संबद्ध अस्पताल और इसकी सभी परिसंपत्तियों, अधिकारों और हितों सहित, सरकार में निहित होगा।

11. ऐसे प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर इस न्यायालय की समपीठ द्वारा देवराज साहू (पूर्वोक्त) के मामले में विचार-विमर्श किया गया था, जिसमें अधिनियम, 2021 की धाराओं 3, 4, 5 और 9 के संबंध में कुछ निष्कर्ष दर्ज किए गए थे। चूंकि समपीठ द्वारा निष्कर्ष पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं, अतः 'पूर्वनिर्णय के सिद्धांत' के अनुसार यह आवश्यक है कि उन निष्कर्षों का पालन किया जाए। देवराज साहू (पूर्वोक्त) में न्यायालय ने कंडिका 23 में इस प्रकार टिप्पणी की थी:

23. अधिनियम, 2021 की धारा 5 विशेष रूप से यह प्रावधान करती है कि अस्पताल प्रतिष्ठान के साथ किसी भी व्यक्ति के सभी संबंध सरकार में अधिकारों के निहित होने के तुरंत बाद समाप्त मान लिए जाएंगे। इस प्रकार, अधिनियम, 2021 की धाराओं 3, 4 और 5 के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम, 2021 का उद्देश्य केवल अस्पताल के सीमित अधिग्रहण से संबंधित था, जिसमें निजी कंपनी द्वारा अधिग्रहण के समय की जा रही किसी अन्य गतिविधि में हस्तक्षेप किए बिना या उसे छुए बिना, अस्पताल प्रतिष्ठान को संविदात्मक या अन्यथा सभी संबंधों से अलग कर दिया गया था और अधिग्रहण की तिथि से इसे राज्य सरकार में निहित कर दिया गया था। अतः, निजी कंपनी के संबंध में याचिकाकर्तागण सहित किसी भी व्यक्ति के संबंध, अधिकार, हित, दावे आदि उस निजी कंपनी के विरुद्ध बने रहेंगे और उक्त दावों आदि (यदि कोई हो) को संतुष्ट करना निजी कंपनी – यहाँ उत्तरदाता क्रमांक 3 – की जिम्मेदारी होगी, जो अधिनियम, 2021 की धारा 9(2) से स्पष्ट है।

उपरोक्त तथ्य के आलोक में, इस न्यायालय के लिए कोई विपरीत निष्कर्ष दर्ज करना संभव नहीं है, जो पहले ही दर्ज किया जा चुका है। अन्यथा भी, हमें ऐसा करने का कोई ठोस कारण नहीं मिलता है।

12. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने बलपूर्वक तर्क दिया कि चूंकि उनके द्वारा बयाना राशि का भुगतान किया गया था, इसलिए संपत्ति पर एक विधिक प्रभार सृजित हो गया है। अधिग्रहण के बाद अदत्त राशि के लिए संपत्ति के धन के रूप में प्रतिस्थापित होने के कारण, याचिकाकर्ता संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 55(6)(ख) के प्रावधानों के अनुसार विधिक प्रभार धारित



करेगा। चूंकि धारा 55(6)(ख) के प्रावधानों पर अत्यधिक भरोसा किया गया है, अतः उन्हें यहाँ उद्धृत करना प्रासंगिक होगा:

**55. क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व—** इसके विपरीत किसी अनुबंध के अभाव में, अचल संपत्ति के क्रेता और विक्रेता क्रमशः निम्नलिखित नियमों में वर्णित दायित्वों के अधीन हैं और उनके पास वे अधिकार हैं, या उनमें से जो बेची गई संपत्ति पर लागू होते हैं:—

XXX

XXX

XXX

**(6) क्रेता हकदार है—**

XXX

XXX

XXX

**(ख)** जब तक कि उसने संपत्ति का परिदान स्वीकार करने से अनुचित रूप से इनकार न किया हो, विक्रेता और उसके अधीन दावा करने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध, संपत्ति में विक्रेता के हित की सीमा तक, क्रेता द्वारा परिदान की प्रत्याशा में उचित रूप से भुगतान की गई किसी भी क्रय-राशि और ऐसी राशि पर ब्याज के प्रभार के लिए; और, जब वह उचित रूप से परिदान स्वीकार करने से इनकार करता है, तो बयाना राशि (यदि कोई हो) के लिए और संविदा के विनिर्दिष्ट पालन को मजबूर करने या उसके विखंडन के लिए डिक्री प्राप्त करने हेतु उसे दिए गए वाद के खर्च (यदि कोई हो) के लिए।

13. 'विक्रय' को संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 के तहत परिभाषित किया गया है। इसे नीचे उद्धृत किया गया है:

**54. "विक्रय" परिभाषित—** "विक्रय" भुगतान की गई या देने के लिए वचनबद्ध, अथवा आंशिक भुगतान की गई और आंशिक वचनबद्ध कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है।





**विक्रय कैसे किया जाता है**— सौ रुपये और उससे अधिक मूल्य की मूर्त अचल संपत्ति के मामले में, या किसी प्रतिवर्तन या अन्य अमूर्त वस्तु के मामले में ऐसा अंतरण केवल एक पंजीकृत लिखित द्वारा ही किया जा सकता है।

सौ रुपये से कम मूल्य की मूर्त अचल संपत्ति के मामले में, ऐसा अंतरण या तो पंजीकृत लिखित द्वारा या संपत्ति के परिदान द्वारा किया जा सकता है।

मूर्त अचल संपत्ति का परिदान तब होता है जब विक्रेता क्रेता को, या उसके द्वारा निर्देशित व्यक्ति को, संपत्ति के कब्जे में रख देता है।

**विक्रय के लिए संविदा**— अचल संपत्ति के विक्रय के लिए संविदा एक ऐसी संविदा है कि ऐसी संपत्ति का विक्रय पक्षकारों के बीच तय शर्तों पर होगा।

यह स्वतः ही ऐसी संपत्ति में कोई हित या उस पर कोई प्रभार सृजित नहीं करती है।

14. उपरोक्त धारा के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अचल संपत्ति के विक्रय के लिए संविदा एक ऐसी संविदा है कि ऐसी संपत्ति का विक्रय होगा और यह ऐसी संपत्ति पर प्रभार सृजित नहीं करेगी। विधिक अधिकार, जिसका याचिकाकर्ता ने संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 55(6) (ख) द्वारा अपने पक्ष में सृजित होने का दावा किया है, उसके अध्ययन से पता चलता है कि यह 'सशर्त' है, जो क्रेता की हकदारी के बारे में बात करता है। यह इन शब्दों से शुरू होता है: "जब तक कि उसने संपत्ति का परिदान स्वीकार करने से अनुचित रूप से इनकार न किया हो, विक्रेता और उसके अधीन दावा करने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध, संपत्ति पर प्रभार के लिए"। अतः ऐसी धारा का लाभ उठाने के लिए, उसमें निर्धारित शर्त का अस्तित्व में होना आवश्यक है।

15. इस धारा की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा 'दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पी) लिमिटेड एवं अन्य' के मामले में की गई थी, जिसमें न्यायालय ने यह माना कि जहाँ तक धन और उस राशि पर ब्याज का संबंध है, इन प्रावधानों को तब तक प्रभावी किया जा सकता है जब तक कि क्रेता ने अनुचित रूप से परिदान स्वीकार करने से इनकार न किया हो। यह प्रभार विक्रेता और उसके अधीन दावा करने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध है। क्रेता के पक्ष में यह प्रभार, धारा 55(4)(ख) के तहत विक्रेता के प्रभार का विलोम है और यह



एक विधिक प्रभार होगा, जो उस संविदात्मक प्रभार से भिन्न है जिसे क्रेता एक अलग अनुबंध के तहत दावा करने का हकदार हो सकता है, और यदि समझौता वास्तविक है तो उसके तहत कोई प्रभार उपलब्ध नहीं होता है।

16. उक्त धारा की आगे व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा 'वीडियोकॉन प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम डॉ. भालचंद्र लेबोरेटरीज एवं अन्य' के मामले में की गई थी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम (TP Act) की धारा 55 के कंडिका 6 के खंड (b) में समाहित क्रेता का प्रभार, स्वत्व हस्तांतरण और क्रेता द्वारा विक्रेता को संपत्ति का परिदान किए जाने से पूर्व भुगतान की गई क्रय राशि या बयाना राशि तक विस्तृत और प्रभावी होगा। उक्त निर्णय का कंडिका 14 नीचे उद्धृत है:

14. संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 55 के कंडिका 6 के खंड (b) में समाहित क्रेता का प्रभार, स्वत्व हस्तांतरण और क्रेता द्वारा विक्रेता को संपत्ति का परिदान किए जाने से पूर्व भुगतान की गई क्रय राशि या बयाना राशि तक, संपत्ति में विक्रेता के हित पर तब तक विस्तृत और प्रभावी रहेगा जब तक कि क्रेता ने अनुचित रूप से संपत्ति का परिदान स्वीकार करने से इनकार न किया हो या जब वह उचित रूप से परिदान स्वीकार करने से इनकार करता है, जिसमें क्रय राशि पर ब्याज और संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए मजबूर करने या उसके विखंडन के लिए डिक्री प्राप्त करने हेतु क्रेता को दिए गए वाद के खर्च शामिल हैं। उपरोक्त प्रावधान का अंतर्निहित सिद्धांत न्याय, साम्या और सद्विवेक का एक सर्वमान्य सिद्धांत है। यह प्रभार तब तक बना रहेगा जब तक कि विक्रेता द्वारा हस्तांतरण विलेख निष्पादित नहीं कर दिया जाता और क्रेता को कब्जा नहीं दे दिया जाता, और उसके बाद ही समाप्त होता है। केवल कब्जे का परिदान स्वीकार करने मात्र से प्रभार समाप्त नहीं होगा। यह प्रभार क्रेता के पक्ष में एक विधिक प्रभार है और उस संविदात्मक प्रभार से भिन्न है जिसका क्रेता संविदा की शर्तों के तहत हकदार हो सकता है, और सार रूप में यह धारा 55(4)(ख) के तहत विक्रेता के पक्ष में सृजित प्रभार का विलोम है। परिणामस्वरूप, क्रेता उक्त प्रभार को संपत्ति के विरुद्ध लागू करने का हकदार है और उस उद्देश्य के लिए वह संपत्ति का पीछा तीसरे पक्षकारों के हाथों में भी कर सकता है और तब भी जब संपत्ति को प्रतिस्थापित प्रतिभूति के विरुद्ध कार्यवाही करके किसी अन्य रूप में परिवर्तित कर दिया गया हो, क्योंकि विक्रेता के अधीन दावा करने





वाला कोई भी व्यक्ति, जिसमें तीसरा पक्षकार क्रेता भी शामिल है, प्रभार की सूचना के अभाव पर आधारित किसी भी तर्क का लाभ नहीं उठा सकता है। उक्त विधिक प्रभार आकर्षित होता है और क्रेता के लाभ के लिए संपत्ति से उस क्षण जुड़ जाता है जब वह क्रय राशि के किसी भी भाग का भुगतान करता है और यह केवल क्रेता की अपनी चूक या परिदान स्वीकार करने से उसके अनुचित इनकार की स्थिति में ही समाप्त होता है। जहाँ तक ब्याज के भुगतान का संबंध है, यह धारा विशेष रूप से पूर्व-भुगतान की गई क्रय-राशि/कीमत पर ब्याज के भुगतान की परिकल्पना करती है, हालांकि बयाना राशि जमा पर विशेष रूप से ऐसा नहीं है, स्पष्ट रूप से इस कारण से कि केवल बयाना राशि के रूप में भुगतान की गई राशि, जो उचित निष्पादन के लिए महज एक सुरक्षा के रूप में है, तब तक प्रतिदेय नहीं होती जब तक कि संविदा या समझौता समाप्त न हो जाए और यह न दिखाया जाए कि क्रेता संविदा के अपने हिस्से को पूरा करने में विफल नहीं रहा है, और समाप्ति उसकी गलती के कारण नहीं हुई है, तब तक क्रेता द्वारा बयाना राशि जमा की वापसी का दावा करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा।

17. अधिनियम, 2021 की धारा 4, जो कि चुनौती के अधीन है, के समानांतर उक्त सिद्धांत को पढ़ने पर, अधिनियम, 2021 की धारा 4 सरकार में संपत्ति के निहित होने के साथ प्रभार की समाप्ति के बारे में बात करती है। उक्त निहित होने को याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। समझौते के तहत भुगतान किए गए धन के लिए प्रभार का दावा ही अब अधिनियम, 2021 की धारा 4 को (TP Act की) धारा 55 के प्रति अधिकारतीत घोषित करने के लिए विस्तृत किया जा रहा है।

18. हमारे विचार में, याचिकाकर्ता का उक्त तर्क मार्ग से भटक गया है, क्योंकि जहाँ समझौता 19-2-2018 को किया गया था, वह समझौता बाद में अंतिम विक्रय में परिणत नहीं हो सका, इसलिए विक्रेता द्वारा 30-6-2018 को संविदा समाप्त कर दी गई थी। समझौते के अवलोकन से पता चलेगा कि इसमें एक खंड शामिल था कि शेष राशि का भुगतान 25-2-2018 की एक निश्चित तिथि तक किया जाना था और उसके बाद समझौते के पक्षकार अपना वचन पूरा नहीं कर सके, जिसके फलस्वरूप विवाद उत्पन्न हुआ।



19. याचिकाकर्ता द्वारा 'मोहम्मद अकील खान बनाम प्रेमराज जवनमल सुराणा एवं अन्य' के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, वह यह दर्शाता है कि दावे के न्यायनिर्णयन के लिए संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 55(6)(ख) इस तथ्य पर भी निर्भर करेगी कि जब विक्रेता और क्रेता दोनों संविदा के अपने संबंधित हिस्सों का पालन करने के इच्छुक हों, परंतु राज्य द्वारा संपत्ति के अर्जन में अप्रत्याशित हस्तक्षेप के कारण संविदा का विनिर्दिष्ट पालन असंभव हो गया हो। ऐसे मामले में, क्रेता विक्रेता से उचित रूप से भुगतान की गई कोई भी क्रय राशि ब्याज सहित और बयाना राशि भी ब्याज सहित वसूल करने का हकदार होगा और उस सीमा तक उसे धारा 55(6)(ख) के तहत अधिकार प्राप्त होगा तथा भूमि पर उसका प्रभार होगा। चूंकि इस मामले में 'निहित होना' चुनौती के अधीन नहीं है, इसलिए इस सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है और अधिनियम, 2021 की धारा 4 केवल तभी प्रभारों को समाप्त करती है जब संपत्ति राज्य में निहित हो गई हो, जिसे उत्तरदाता क्रमांक 3 से मुआवजे के भुगतान पर क्रय किया गया था। धारा के ऐसे कार्यान्वयन से परिसंपत्तियां निहित हुई हैं, दायित्व नहीं। दायित्व पूर्ववर्ती स्वामी यानी उत्तरदाता क्रमांक 3, अर्थात्; चंदूलाल चंद्राकर स्मृति अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड के पास ही रहा और उससे वसूली योग्य बनाया गया।

20. अधिनियम, 2021 की धारा 4 के शब्दांकन का मूल्यांकन करने के लिए, इसे धारा 9 के साथ पढ़ना उचित होगा, जिसमें धारा 9(1) में यह समाहित किया गया है कि संपत्तियां सभी भागों से मुक्त होकर सरकार में निहित होंगी और सरकार निहित होने से पूर्व उसके स्वामियों के किसी भी दायित्व के लिए किसी भी जीवित या विधिक व्यक्ति को कुछ भी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। साथ ही, धारा 9(2) में दावेदार को यह मार्ग दिया गया है कि दायित्व सरकार में निहित होने से पूर्व उसके स्वामियों के दायित्व बने रहेंगे और उनके लेनदारों द्वारा कानून की सामान्य प्रक्रिया का पालन करते हुए उनसे वसूल किए जा सकेंगे।

21. अधिनियम, 2021 की धाराओं 4 और 9 को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि अधिग्रहण तक जो दायित्व सीमित था, वह उत्तरदाता क्रमांक 3 का था और कानून की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार उत्तरदाता क्रमांक 3 के विरुद्ध दावा करने की स्वतंत्रता दी गई थी। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से तर्क दिया कि यह विनिर्दिष्ट पालन का मामला नहीं है बल्कि धन की वसूली का मामला है, जो विधिक प्रभार में बदल गया है। इस याचिका में वे संविदा से संबंधित किसी अधिकार का दावा नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 55(6)(ख) के अनुसार विधिक प्रभार सिद्ध नहीं होता है, तो अधिनियम, 2021 की धारा 9(2) याचिकाकर्ता के बचाव में आएगी।



22. यद्यपि याचिका में बाद की चुनौती का अभिवचन किया गया है, लेकिन बहस के दौरान उस पर बल नहीं दिया गया, और न ही उस चुनौती को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक जोर दिया गया।
23. अधिनियम, 2021 की धारा 4 और 5 को धारा 9 के साथ पढ़ने से पता चलता है कि यह संपत्ति के निहित होने के संबंध में है। यदि कोई संविदा अस्तित्व में है, तो उसे समाप्त मान लिया जाएगा। संविदा की समाप्ति धारा 9(2) के तहत दायित्व निर्धारण से संबंधित है और यह न्यायालय वैधता का न्यायनिर्णयन करते समय विवादित तथ्यों के प्रश्न में नहीं जाएगा, क्योंकि सर्वविदित रूप से संविदा के अनुसार एक निश्चित समय सीमा तय की गई थी और प्रतिफल का समय पर भुगतान न होने के कारण संविदा समाप्त कर दी गई थी। न्यायालय के रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता आईआरपी (IRP) के विरुद्ध एनसीएलटी, कटक के समक्ष भी गया था, जहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वित्तीय लेनदार था।
24. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एनसीएलटी, कटक के समक्ष दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कार्यवाही दायर की, जिसमें याचिकाकर्ता ने भी वित्तीय लेनदार के रूप में अपना दावा प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि समय संविदा का सार था और समय वृद्धि दिए जाने के बाद भी प्रतिफल राशि प्रेषित न करने के कारण दावा खारिज कर दिया गया। आईआरपी के ऐसे आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 60(5) के तहत उपरोक्त आवेदन दायर किया था। जब उक्त याचिका लंबित थी, तब वर्तमान याचिका सहित अन्य रिट याचिकाएं दायर की गईं। स्वीकार्य रूप से, याचिकाकर्ता ने भुगतान की गई बयाना राशि की वसूली के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष कोई वाद दायर नहीं किया था, इसके बजाय अधिनियम, 2021 की कुछ धाराओं को अधिकारहीन घोषित करने का दावा करते हुए रिट याचिका दायर की गई है।
25. जब मामला एनसीएलटी (NCLT) के समक्ष लंबित था, तब बैंक के साथ एकमुश्त समझौता हो गया था और इस प्रकार, दिनांक 28-3-2023 के आदेश द्वारा एनसीएलटी ने कार्यवाही बंद कर दी। यहाँ याचिकाकर्ता ने वसूली के लिए विधिक उपचार अपनाने के बजाय प्रस्तुत रिट याचिका दायर करके मुद्दे को संक्षिप्त रास्ते से हल करने का प्रयास किया है। जिन धाराओं को चुनौती दी गई है, वे केवल मूल्यांकन के बारे में हैं। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि याचिकाकर्ता ऐसे मूल्यांकन खंड से कैसे प्रभावित है, क्योंकि यह चंदूलाल चंद्राकर स्मृति अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड और राज्य के बीच का परस्पर मामला था। हमारे समक्ष ऐसी धारा की वैधता के संबंध में अधिक जोर भी नहीं दिया गया है। अब केवल धारा 9 शेष बचती है। धारा 9, जिसे धारा 4 और



5 के साथ पढ़ा जाना है, यह कहती है कि संपत्ति सभी भागों से मुक्त होकर सरकार में निहित होगी। जैसा कि हमने पहले कहा है, टीपी एक्ट (संपत्ति अंतरण अधिनियम) की धारा 55(6) (ख) के तहत विधिक प्रभार प्राप्त करने के लिए कब्जे का परिदान एक अनिवार्य पूर्ववर्ती शर्त है; उसके बिना स्वतंत्र प्रभार का दावा तब नहीं किया जा सकता जब धारा 9 की उप-धारा (2) ने याचिकाकर्ता के लिए वाद दायर करने का मार्ग खुला रखा है। ऐसी स्थिति में वाद दायर न करना वसूली की कार्यवाही का आधार नहीं बन सकता।

26. उच्चतम न्यायालय ने 'एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम स्काई पावर साउथईस्ट सोलर इंडिया (पी) लिमिटेड' के मामले में कंडिका 123 और 124 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:

123. हम पुनः दोहराते हैं कि संविदा से उत्पन्न होने वाले मौद्रिक दावे पर रिट आवेदक द्वारा सफलतापूर्वक बल दिया जा सकता है, लेकिन इसका आधार केवल संविदा का उल्लंघन नहीं होगा। सार्वजनिक कानून का हिस्सा होने के नाते, मामला इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि निर्णय को दूषित करने वाला मनमानापन मौजूद है। मामला वास्तव में विवादित तथ्यों की स्थिति के भीतर नहीं आना चाहिए। वह विवाद, जिसे उन दस्तावेजों की उचित समझ के आधार पर सुलझाया जा सकता है जो विवादित नहीं हैं, रिट न्यायालय में वाद हेतु प्रदान कर सकता है। ए.बी.एल. [(2004) 3 SCC 553] का मामला ऐसा ही था।

124. यह मुकदमेबाजी किस बारे में है? यह मुकदमेबाजी किसी मौद्रिक दावे को लागू करने के बारे में नहीं है। रिट याचिका संविदा की समाप्ति को चुनौती देती है। संविदा की समाप्ति, निस्संदेह, फिर से प्रतिरक्षित नहीं हो सकती यदि वह मनमानेपन के दोष से ग्रस्त पाई जाती है। यदि न्यायालय पाता है कि मामला वास्तव में अस्पष्ट सीमाओं वाले उस छोटे क्षेत्र से संबंधित है जहाँ इसे निजी कानून विवाद के रूप में माना जा सकता है, तो हस्तक्षेप से पुनः इनकार किया जा सकता है। सार्वजनिक कानून और निजी कानून के बीच का अंतर निश्चित रूप से लगभग अदृश्य स्तर तक कम हो गया है, लेकिन कानून में यह अंतर बना हुआ है।

27. चूंकि यह तर्क भी दिया गया है कि प्रभार के प्रश्न को उठाया जा सकता है, हमारे समक्ष ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है जिससे यह पता चले कि राज्य इस तरह के



अधिनियम को पारित करने की विधायी सक्षमता से वंचित था, और न ही भारत के संविधान या अन्य मूल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ था। केवल वह समझौता अस्तित्व में है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता टीपी एक्ट की धारा 55(6) (ख) के तहत प्रभार की आड़ में बयाना राशि की वसूली का दावा कर रहा है। वसूली के लिए धन का दावा करते हुए संपत्ति पर प्रभार के आधार पर परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 62 के तहत वाद दायर किया जा सकता था, लेकिन इस स्तर पर इस मुद्दे का न्यायनिर्णयन करते समय हम इस पर विचार-विमर्श नहीं करेंगे कि विधिक प्रभार सृजित हुआ था या नहीं, जबकि उत्तरदाता क्रमांक 3 द्वारा यह प्रतिद्वंद्वी दावा किया गया है कि निर्धारित समय के भीतर प्रतिफल का भुगतान न करने के कारण राशि जब्त कर ली गई है और समय संविदा का सार था। इस न्यायनिर्णयन के लिए उचित वाद में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, न कि न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के द्वारा राज्य द्वारा पारित किसी अधिनियम को अधिकारतीत घोषित करने की। जब अधिनियम, 2021 की धारा 9(2) स्वतंत्रता प्रदान करती है और धन या किसी दायित्व की वसूली के लिए तीसरे पक्ष के हित को सुरक्षित रखती है, तो उस अधिकार का निर्णय उचित साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद दीवानी न्यायालय के समक्ष किया जाना आवश्यक है।

28. निष्कर्षतः, यह रिट याचिका, आधारहीन होने के कारण, खारिज किए जाने योग्य है और एतद्वारा खारिज की जाती है। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

सही/- (गौतम भादुड़ी) न्यायाधीश	सही/- (राधाकिशन अग्रवाल) न्यायाधीश
--------------------------------------	--

**(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)**

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।